चतुर्थ श्रेणी के अस्थायी कर्मचारियों के दैनिक वेतन

3008. **श्री गांधी आजादः** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी के अस्थायी कर्मचारियों को कितना दैनिक वेतन दिया जा रहा है और यह वेतन कब निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या सरकार पांचवें वेतन आयोग लागू हो जाने के उपरान्त बढ़ी हुई मंहगाई को देखते हुए इन कर्मचारियों के दैनिक वेतन में वृद्धि करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के दिनांक 26.3.99 के आदेशानुसार, दैनिक मजदूरी की दर अकुशल मजदूरों के लिए 90.30 रु०, अर्द्ध-कुशल मजदूरों के लिए 96.70 रु० और कुशल मजदूरों के लिए 106.60 रु० है। ये मजदूरियां दिल्ली स्थित सरकारी कार्यालयों के दैनिक मजदूर को दी जाती हैं।

(ख) और (ग) ये मजदूरियां उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध हैं तथा मुद्रास्फीति की दर को यथावत बनाए रखने के लिए परिवर्ती मंहगाई भत्ता दिया जाता है। पूर्व की दरें मई 98, में निर्धारित की गई थी; तथा (क) में दी गई मजदूरियों को उसमें प्रतिमाह 411.00 रु० का मंहगाई भत्ता जोड़कर संशोधित किया गया है।

Term of Manisana Wage Board

3009. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the term of the Manisana Wage Board for journalists and non-journalists has been extended to submit its recommendations;

(b) whether it is also a fact that the recommendations could not be submitted due to want of Government co-operation which is to be given to the Board; and

(c) the expected date of submission of recommendations and ways of its implementation?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) No time frame was fixed for the submission of the report of Wage Boards at the time of constitution. However, the Chairman of the Wage Boards has been requested to submit the report of the Wage Boards at the earliest. Thereafter the notification will be issued by the Government.

खेतिहर मजदूरों का कल्याण

3010. **श्री ओंकार सिंह लखावतः** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार खेतिहर मजदूरों के कल्याण, कार्य समयावधि, फसल कटाई की न्यूनतम मजदूरी, बुवाई की मजदूरी, रोजगार आश्वासन, चिकित्सा आदि की व्यवस्था से युक्त वृहद् कानून बनाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक; और

(ख) देश में खेतिहर मजदूरों की कुल संख्या क्या है?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) सरकार का कृषीय कामगारों के लिए रोजगार और सेवा शर्तों के विनियमन का प्रावधान करने और उनके लिए कतिपय कल्याणकारी उपाय करने हेतु एक व्यापक विधान बनाने का विचार है। विभिन्न राज्यों की अत्याधिक भिन्न-भिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और कृषि जलवायु दशाओं, कृषीय पद्धतियों और नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों से उत्पन्न राज्य सरकारों के भिन्न-भिन्न आंकलनों के कारण किसी सम्यक निष्कर्ष तक पहुंच पाना संभव नहीं हो पाया है।

(ख) 1991 की जनगणना के अनुसार, कृषीय श्रमिकों की कुल संख्या (जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर) 74,597,744 है।

ई०एस०आई० लाभ योजना

3011. **श्री ओंकार सिंह लखावतः** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग द्वारा सुझाये गये वेतनमानों को लागू किये जाने के कारण अधिकांश श्रमिक ई०एस०आई० योजना के लाभों से वंचित हो गये हैं;